वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षाः भारत में बुजुर्गों के जीवन की चुनौतियाँ

*डॉ. गौरी शंकर मीणा

सारांश

भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बुजुर्गों के जीवन में कई चुनौतियों का सामना कराती है। बढ़ती उम्र के साथ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं सामान्य हो जाती हैं। बुजुर्गों को अक्सर चिकित्सकीय देखभाल, पोषण और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त न होने पर उनकी जीवन गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालता है। सामाजिक सुरक्षा की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। बहुत से बुजुर्गों के पास पेंशन या अन्य वित्तीय सहायता नहीं होती, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। संयुक्त परिवार की परंपरा कमजोर हो रही है, और वृद्ध जन अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि एक संकेत है कि बुजुर्गों की देखभाल में परिवारों की भूमिका कम हो रही है। सरकार द्वारा कुछ योजनाएं और पेंशन योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन उनकी पहुंच और प्रभाव सीमित है। अधिक समावेशी और प्रभावी सामाजिक सुरक्षा नीतियों की आवश्यकता है ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सके।

मुख्य शब्दः वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, PMVVY, सामाजिक समावेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

I. प्रस्तावना

वृद्धावस्था भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण और व्यापक विषय है। भारतीय संस्कृति में वृद्धावस्था का एक विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा है। भारतीय समाज में बुजुर्गों को परिवार के मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक रूप से, संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्गों की देखभाल और सम्मान सुनिश्चित होता था। वे परिवार के अनुभव और ज्ञान का स्रोत माने जाते थे और उनके निर्णयों का सम्मान किया जाता था। संस्कृत साहित्य और वेदों में भी वृद्धों का सम्मान महत्वपूर्ण माना गया है। 'मतृ देवो भव', 'पितृ देवो भव' जैसे शास्त्रीय उद्धरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय समाज में माता-पिता और वृद्धों को ईश्वर के समान आदर दिया जाता है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (National Commission on Population) के अनुसार, भारत की जनसंख्या में वृद्ध जनों की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में लगभग 9% थी जो वर्ष 2036 तक 18% तक पहुँच सकती है। यदि भारत निकट भविष्य में वृद्ध जनों के लिये जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहता है तो इसके लिये योजना निर्माण और उसका क्रियान्वन अभी से ही शुरू कर देना चाहिये। भारत में जीवन प्रत्याशा (Life expectancy) स्वतंत्रता के समय से अभी तक बढ़कर दोगुनी से अधिक हो गई है (1940 के दशक के अंत में लगभग 32 वर्ष से बढ़कर वर्तमान में 70 वर्ष)। दुनिया के कई देशों ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी यह भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि है। सामाजिक सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसका सही उपयोग और व्यवस्था समाज में समर्थ, स्थिर और समृद्ध भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हालांकि, आधुनिक समय में सामाजिक और आर्थिक बदलावों ने वृद्धावस्था की परिभाषा और उनकी स्थिति को काफी

प्रभावित किया है। शहरीकरण, औद्योगीकरण, और परिवार की संरचना में बदलाव ने वृद्धों की स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिली में बदल रही है, जिससे बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। औद्योगीकरण, शहरीकरण, तकनीकी और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन, शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव में भारतीय समाज तीव्र रूपांतरण के दौर से गुज़र रहा है। इसके साथ ही, पारंपरिक मूल्य और संस्थाएँ क्षरण एवं अनुकूलन की एक प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंतर-पीढ़ी संबंध (intergenerational ties) कमज़ोर हुए हैं जो पारंपरिक परिवार की पहचान होते थे। औद्योगीकरण ने साधारण पारिवारिक उत्पादन इकाइयों को बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखाने से प्रतिस्थापित कर दिया है। वृद्ध होती आबादी से संबद्ध समस्याओं में बच्चों द्वारा अपने वृद्ध माता-पिता की अनदेखी, सेवानिवृत्ति के कारण निराशा, वृद्ध जनों में शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी और अलगाव की भावना, पीढ़ीगत अंतराल, वृद्धों की सेवानिवृत्ति और बुनियादी आवश्यकताओं के लिये संतान पर निर्भरता, रोग/उपचार पर जेबी खर्च में अचानक वृद्धि होना, उनमें अंधापन, चलने-फिरने में अक्षमता और बहरापन जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ आम रूप से पाई जाती हैं, उनमें सेनिलिटी (senility) और न्यूरोसिस (neurosis) से उत्पन्न होने वाले मानसिक विकार देखे जाते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें अवसाद, चिंता, और अकेलापन शामिल हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और उच्च चिकित्सा खर्च भी वृद्धों के लिए बड़ी समस्याएं हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति भी वृद्धावस्था के परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती है। सरकारी योजनाएं और पेंशन कार्यक्रमों का सीमित प्रभाव और अपूर्ण कार्यान्वयन बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा को कमजोर बनाता है। सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धाश्रम, और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं की आवश्यकता होती है, जो कि अभी भी अपर्याप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या कोष से जुड़ी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2022 में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 10.5% या 14.9 करोड़ थी। इसके 2050 में 20.8% या 34.7 करोड़ हो जाने का अनुमान है। इसे देखते हुए हर पांच व्यक्तियों में एक वृद्ध हो जाएगा। इसका प्रभाव स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है।

II. भारत में बुजुर्गों की जीवन की चुनौतियाँ

भारत में बुजुर्गों की जीवन की चुनौतियाँ कई आयामों में विभाजित हैं, जिसमें स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समावेश, और मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख हैं। बदलते सामाजिक और पारिवारिक ढाँचे ने बुजुर्गों की स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इन चुनौतियों को समझना और समाधान खोजना न केवल सामाजिक नीति निर्माताओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है।

स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ: बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, और कैंसर जैसी बीमारियाँ बुजुर्गों में आम हैं। इसके अलावा, दृष्टि और श्रवण की समस्याएँ भी वृद्धावस्था में अधिक होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता बुजुर्गों के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। उच्च चिकित्सा खर्च और सीमित बीमा कवरेज भी उनकी स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करते हैं।

आर्थिक चुनौतियाँ: आर्थिक सुरक्षा बुजुर्गों के लिए एक और बड़ी चुनौती है। अधिकांश बुजुर्ग लोग रिटायर होने के बाद आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। पेंशन और बचत पर्याप्त नहीं होते हैं, जिससे वे वित्तीय संकट का सामना करते हैं। विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन योजनाएँ और सामाजिक सुरक्षा

कार्यक्रम अक्सर अपर्याप्त होते हैं। इसके अलावा, वृद्धावस्था में रोजगार के अवसर भी सीमित होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है।

सामाजिक चुनौतियाँ: सामाजिक अलगाव और अकेलापन बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं। बदलते पारिवारिक ढाँचे, विशेषकर संयुक्त परिवार से नाभिकीय परिवार में परिवर्तन ने बुजुर्गों को सामाजिक रूप से अलग-थलग कर दिया है। कई बार बुजुर्गों को अनदेखा किया जाता है या उनकी आवश्यकताओं को महत्व नहीं दिया जाता। संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिक समर्थन स्वाभाविक रूप से मिलता था, लेकिन अब यह संरचना धीरे-धीरे गायब हो रही है। इससे बुजुर्गों को सामाजिक और भानात्मक समर्थन की कमी महसूस होती है।

मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियाँ: बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी सामान्य हैं, जैसे अवसाद, चिंता, और मनोभ्रंश (डिमेंशिया)। अकेलापन, सामाजिक अलगाव, और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और इन समस्याओं के प्रति जागरूकता की कमी भी बुजुर्गों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष कार्यक्रमों और सुविधाओं की आवश्यकता है।

सुरक्षा और देखभाल: बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और देखभाल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वृद्धावस्था में शारीरिक कमजोरी और बीमारियों के कारण वे अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उन्हें अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। कई बार परिवार के सदस्य या देखभालकर्ता उनकी जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं या उन्हें उचित देखभाल नहीं मिल पाती। इसके अलावा, बुजुर्गों के प्रति हो रही हिंसा और दुर्व्यवहार भी एक गंभीर समस्या है। समाज में बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानूनों और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है।

भारत में बुजुर्गों की जीवन की चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और उनके समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

III. सामाजिक सुरक्षा के प्रति बुजुर्गों का अधिकार

सामाजिक सुरक्षा बुजुर्गों की आर्थिक, स्वास्थ्य, और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के प्रति बुजुर्गों के अधिकारों का परिप्रेक्ष्य जटिल और व्यापक है, जिसमें सरकारी नीतियाँ, योजनाएँ, और कानूनी अधिकार शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, और सामाजिक सहायता शामिल होती है। भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति मिश्रित है। यहाँ कई सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी पहुंच और प्रभावशीलता अक्सर अपर्याप्त होती है। सामाजिक सुरक्षा के प्रति बुजुर्गों के अधिकार निम्नलिखित रूपों में दिखाई देते हैं:

भारत में विभिन्न पेंशन योजनाएँ मौजूद हैं, जो वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इनमें अटल पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), और विभिन्न राज्य पेंशन योजनाएँ शामिल हैं। ये योजनाएँ बुजुर्गों को एक निश्चित मासिक आय प्रदान करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए बीमा योजनाएँ भी शुरू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)।

बुजुर्गों के लिए सामाजिक सहायता और देखभाल की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, और घरेलू देखभाल सेवाओं की स्थापना की है, जो बुजुर्गों को आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करते हैं।

बुजुर्गों के लिए कानूनी अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं, जो उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) शामिल है। यह अधिनियम बुजुर्गों को उनके बच्चों और परिजनों से भरण-पोषण की मांग करने का अधिकार देता है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी प्रदान करता है। गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संगठन बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सेवाएँ प्रदान करते हैं। एनजीओ की पहलें अक्सर सरकारी योजनाओं को पूरक करती हैं और बुजुर्गों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करती हैं।

अन्य योजनाएं

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme- NSAP): योजना के तहत भारत में वृद्ध जनों, विधवा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिये गैर-अंशदायी पेंशन की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ कार्यान्वित हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY): यह भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये घोषित एक पेंशन योजना है। इस योजना को अब वर्ष 2020 से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिये (वर्ष 2023 तक) बढ़ा दिया गया है।

वृद्ध व्यक्तियों के लिये एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Program for Older Persons- IPOP): इस नीति का मुख्य लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। भोजन, आश्रय, चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ और यहाँ तक कि मनोरंजन के अवसर प्रदान कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना: यह वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (Senior Citizens' Welfare Fund) से वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस कोष को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। लघु बचत खातों, PPF और EPF से सभी दावारहित राशियों को इस कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह BPL की श्रेणी के उन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जो क्षीण दृष्टि, श्रवण दोष, दाँतों की क्षति और चलने-फिरने में व्यवधान जैसी आयु संबंधी अक्षमताओंसे पीड़ित हैं।

संपन्न परियोजना (SAMPANN Project): संपन्न/SAMPANN (सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) परियोजना को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिये एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। यह पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा क्रेडिट प्रदान करता है।

बुजुर्गों के लिये 'SACRED' पोर्टल: 'सीनियर एबल सिटीज़न फॉर रि-एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी'- SACRED पोर्टल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और रोज़गार एवं कार्य अवसर की मांग कर सकते हैं।

सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) इनिशिएटिव: सेज पोर्टल (SAGE Portal) विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों हेतु देखभाल उत्पादों और सेवाओं का 'वन-स्टॉप एक्सेस' है। यह ऐसे व्यक्तियों की मदद

करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो वृद्ध जनों की देखभाल के लिये सेवाएँ प्रदान करने के क्षेत्र में उद्यमिता करने में में रुचि रखते हैं।

हालांकि, सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं और अधिकारों के बावजूद, कई बुजुर्ग अभी भी इन सेवाओं और लाभों तक पहुँचने में असमर्थ हैं। कई बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती। योजनाओं का कार्यान्वयन अक्सर धीमा और अनियमित होता है, जिससे लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, और संसाधनों की उचित आवंटन आवश्यक है।

IV. समाधान और सुझाव

भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुस्तरीय और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। निम्नलिखित समाधान और सुझाव इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं:

1. व्यापक जागरूकता और शिक्षा: बुजुर्गों के अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए। सामुदायिक कार्यक्रमों, मीडिया, और स्थानीय संगठनों के माध्यम से बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। बुजुर्गों को डिजिटल साक्षरता और अन्य आधुनिक तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देना ताकि वे आसानी से सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच सकें।

2. स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के लिए विशेष स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना और बुजुर्गों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन कार्यक्रम विकसित करना।

3. आर्थिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण: पेंशन योजनाओं को अधिक समावेशी बनाना और सभी बुजुर्गों को कवर करने के लिए उनकी पहुंच बढ़ाना। पेंशन की राशि को नियमित रूप से समसामयिक महंगाई के अनुसार समायोजित करना। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना ताकि बुजुर्ग चिकित्सा खर्चों से सुरक्षित रहें। जीवन बीमा योजनाओं को भी वृद्धावस्था के लिए विशेष रूप से डिजाइन करना।

4. सामाजिक समावेश और समर्थन **:** बुजुर्गों के लिए सामुदायिक केंद्र और डे केयर सेंटर स्थापित करना जहाँ वे सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकें। बुजुर्गों के लिए सामाजिक मेलजोल और समर्थन समूहों की स्थापना करना। संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहित करना और परिवारों को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रेरित करना। परिवारों के लिए बुजुर्गों की देखभाल के संबंध में प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।

5. कानूनी और नीति सुधार: बुजुर्गों के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना। सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों में बुजुर्गों के अधिकारों और आवश्यकताओं को विशेष प्राथमिकता देना। वृद्धावस्था में देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष नीति दस्तावेज़ तैयार करना।

6. गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक प्रयास: गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को बुजुर्गों की देखभाल और समर्थन में शामिल करना और उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। एनजीओ के माध्यम से बुजुर्गों को आवश्यक

सेवाएँ और सहायता प्रदान करना। समुदायों में बुजुर्गों के लिए स्वेच्छिक सहायता समूह बनाना। स्थानीय स्तर पर बुजुर्गों के लिए सहायता और समर्थन नेटवर्क स्थापित करना।

7. नवाचार और अनुसंधान: बुजुर्गों के जीवन को सरल बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना, जैसे स्मार्ट होम तकनीक, टेलीमेडिसिन, और ऑनलाइन सेवाएँ। स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं में नवाचार के माध्यम से बुजुर्गों की गुणवत्ता जीवन में सुधार करना। वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और नवीनतम शोध परिणामों का उपयोग नीतियों और कार्यक्रमों में करना। बुजुर्गों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण और अध्ययन करना।

8. निराश्रिता और अभाव से सुरक्षा: वृद्ध व्यक्तियों के लिये एक सम्मानजनक जीवन की दिशा में पहला कदम यह होगा कि उन्हें निराश्रिता (destitution) और इससे संबंधित अभावों से बचाया जाए। पेंशन के रूप में नकद राशि प्रदान करना कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने और अकेलेपन से बचने में मदद कर सकता है। यही कारण है कि वृद्धावस्था पेंशन दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

9. अग्रणी राज्यों का अनुकरण करना: भारत के दक्षिणी राज्यों और ओडिशा एवं राजस्थान जैसे अपेक्षाकृत गरीब राज्यों ने लगभग सार्वभौमिक (near-universal) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्थिति हासिल कर ली है। उनके ये प्रयास अनुकरणीय हैं। यदि केंद्र सरकार NSAP में सुधार करे तो सभी राज्यों के लिये ऐसा करना अत्यंत सरल हो जाएगा।

10. पेंशन योजनाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना: सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सुधार लाना एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। वृद्ध जनों को स्वास्थ्य देखभाल, विकलांगता सहायता, दैनिक कार्यों में सहायता, मनोरंजन के अवसर और एक अच्छे सामाजिक जीवन जैसी अन्य सहायता एवं सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है।

भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

V. भविष्य की संभावनाएँ

भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएँ विविध और महत्वपूर्ण हैं। बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, और सामाजिक परिवर्तन के साथ, वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कई संभावनाएँ उभर कर आ रही हैं। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वृद्धावस्था में बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों और रणनीतियों पर विचार किया जाना चाहिए।

1. प्रौद्योगिकी और नवाचार: टेलीमेडिसिन, ई-हेल्थ रिकॉर्ड्स, और ऑनलाइन परामर्श सेवाओं के माध्यम से बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकती हैं। सेंसर-आधारित स्मार्ट होम तकनीकें बुजुर्गों की सुरक्षा और स्वायत्तता को बढ़ा सकती हैं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से घर पर रह सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग बुजुर्गों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। AI-आधारित सहायक उपकरण और रोबोटिक्स बुजुर्गों की दैनिक गतिविधियों में मदद कर सकते हैं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

2. नीति सुधार और सरकारी पहलें: पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों का विस्तार करके अधिक बुजुर्गों को इन सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सकता है। बुजुर्गों के लिए विशेष आवास योजनाएँ, जैसे वृद्धाश्रम और सामुदायिक आवास परियोजनाएँ, विकसित की जा सकती हैं। स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष

सरकारी कार्यक्रम, जैसे वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्ड और मुफ्त चिकित्सा सेवा योजनाएँ, लागू की जा सकती हैं।

3. सामुदायिक और सामाजिक समर्थन: सामुदायिक केंद्रों में सामाजिक गतिविधियाँ, स्वास्थ्य जांच शिविर, और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इंटरजनरेशनल प्रोग्राम्स, जहाँ विभिन्न पीढ़ियों के लोग एक साथ आकर बातचीत और गतिविधियों में भाग लें, बुजुर्गों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा दे सकते हैं।

4. शिक्षा और प्रशिक्षण: बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जिससे वे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। बुजुर्गों के स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें पोषण, व्यायाम, और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और एनजीओ के माध्यम से इन कार्यक्रमों का विस्तार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।

5. आर्थिक सशक्तिकरण: बुजुर्गों को उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए विशेष ऋण योजनाएँ और सहायक सेवाएँ विकसित की जा सकती हैं। अनुभवी और सेवानिवृत्त पेशेवरों के लिए परामर्श और सलाहकार सेवाएँ शुरू की जा सकती हैं, जिससे वे अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके समाज में योगदान कर सकें। बुजुर्गों को स्वयंसेवा और सामुदायिक सेवा के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, जिससे वे सक्रिय और व्यस्त रह सकें। स्वयंसेवा के माध्यम से बुजुर्गों को सामाजिक मूल्य और सम्मान का अनुभव कराना महत्वपूर्ण है।

प्रौद्योगिकी, नीति सुधार, सामुदायिक समर्थन, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे उपायों के माध्यम से बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।

VI. निष्कर्ष

भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे अत्यंत जटिल और बहुआयामी हैं। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक असुरक्षा, और सामाजिक अलगाव प्रमुख हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से भी वृद्धावस्था की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। स्मार्ट होम तकनीक, टेलीमेडिसिन, और एआई-आधारित सहायक उपकरण बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश के प्रयासों से बुजुर्गों को सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सकता है। इन सभी प्रयासों का समन्वित रूप से क्रियान्वयन करके ही हम भारत में वृद्धावस्था को एक सुखद और सुरक्षित अनुभव बना सकते हैं। समाज, सरकार, और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

***सहायक आचार्य**
समाजशास्त्र विभाग
एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर (राज.)

VII. संदर्भ ग्रंथ

1. भारतीय सामाजिक संस्थान (2020). "भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पर एक अध्ययन." नई दिल्ली: भारतीय सामाजिक संस्थान।

2. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद (2019). "भारत में बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ." नई दिल्ली: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा परिषद।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन (2015). "एजिंग एंड हेल्थ: ए ग्लोबल रिपोर्ट." जेनेवा: विश्व स्वास्थ्य संगठन।
4. यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (2017). "इंडिया एजिंग रिपोर्ट." न्यूयॉर्क: यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड।
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2016). "सोशल प्रोटेक्शन फॉर ओल्ड एज: पॉलिसी एंड प्रैक्टिस." जेनेवा: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
6. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (2018). "भारत में वृद्धावस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन." नई दिल्ली: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद।
7. सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (2017). "सोशियो-इकनॉमिक कंडीशन्स ऑफ द एल्डरली इन इंडिया." त्रिवेंद्रम: सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज।
8. नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (2019). "प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सीनियर सिटिजन्स: ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव." नई दिल्ली: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस।
9. भारत सरकार (2020). "प्रधानमंत्री वय वंदना योजना." नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय।
10. एनजीओ रिपोर्ट्स (2018). "कम्युनिटी-बेस्ड सॉल्यूशन्स फॉर एल्डरली केयर." मुंबई: हेल्पएज इंडिया।
11. भारतीय जनगणना (2011). "भारत में वृद्धावस्था जनसंख्या का वितरण." नई दिल्ली: जनगणना आयोग।
12. इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क (2016). "सोशियल वर्क विद एल्डरली: प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स." मुंबई: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज।